




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF -148771

13



1-विक्रेता राम कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र ने रू0 10,00,000/-द्वारा चेक संख्या 854369 दिनांक 7.11.2012 द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, अलीगंज द्वारा प्राप्त किया है।

उपरोक्त विक्रीत भूमि की कुल सरकारी मालियत 12,52,700/-रू0 है जिस पर रू0 52,700/- का स्टाम्प दिया जा रहा है इस लेखपत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यो का सत्यता पूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

Salma Khatoon

राम कुमार

यह विक्रय पत्र पक्षकारों यानि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्यों व बताई गई मौखिक जानकारी के अनुसार ड्राफ्ट व टाईप किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के लेन देन व स्वामित्व विषयक विवाद की दशा में उपनिबंधक, मसविदाकर्ता, टाईपकर्ता की कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं होगी।

दिनांक :- 09/11/2012

गवाह (1)

रंजीत यादव श्री स्व. रामचन्द्र यादव
पिताजी चिन्मयाबाय लखनऊ

ह0 विक्रेता

राम कुमार



गवाह (2)

बिनोद श्री स्व. भीरम लाल
प्रासिद्ध विक्रेता भोएलाल
गंज लखनऊ

ह0 क्रेता

Salma Khatun



टाईपकर्ता

महेश कुमार

तह0 मोहनलाल गंज लखनऊ


मसविदाकर्ता

(आर0 एल0 सिंह)

एडवोकेट

ह0 मोहनलाल गंज, लखनऊ

नजरी नवशा भूमि विक्रीत की 200 मी० की त्रिज्या
में स्थित सम्पत्तियों का



चुक्रक-एवं प्रादि स्थान-हिंर इलेक्ट्रोस्टेट तहसील रोड, मोहनलालगंज, लखनऊ

विक्रेता का नाम:-	राज कुमार
पिता का नाम:-	राज चन्द
जि० ग्राम	चिरीगाबाबा / उमरिया / लखनऊ
गाटा सं०/क्षेत्रफल	गाटा 814/1.825 इ.मी. 0.25
भूमि स्थित ग्राम	काशीमगुल बिरडी
परगना	च
तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ	
ह०/जि० अ० विक्रेता	ह०/जि० अ० क्रेता
राज कुमार	Salma Khatoon
मसविदाकर्ता के हस्ताक्षर	
दिनांक :-	

Kh. No. 814

12043/12

0.291 H



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विक्रय मूल्य - 10,00,000/-
मालियत - 12,52,700/-
देय स्टाम्प - 52,700/-

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार :- कृषि भूमि
2. परगना :- मोहनलालगंज
3. तहसील :- मोहनलालगंज

Salma Khatun

राम कुमार



E-4-21
83-1-13
M.T.U.-



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 729448

2

- | | | |
|----------------------|----|---|
| 4. जनपद | :- | लखनऊ |
| 5. भूमि स्थित ग्राम | :- | कासिमपुर बिरुहा
परगना व तहसील मोहनलालगंज |
| 6. सम्पत्ति का विवरण | :- | खाता संख्या 287 की खसरा संख्या 814
रकबा 1.826 हेक्टेयर मे से 0.291 हे0 |
| 7. मापन की इकाई | :- | हेक्टेयर |
| 8. सड़क की स्थिति | :- | विक्रीत भूमि लखनऊ सुल्तानपुर राजमार्ग
से 200 मीटर के बाहर स्थित है। |
| 9. अन्य विवरण | :- | आबादी के 0 - 50 मीटर की परिधि में
स्थित है । |

राम कुमार

Salma Khatun



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 729449

3

10. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि ।
11. पेड़ों का मूल्यांकन :-
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 2 पेड़ आम व्यास | 40 – 50 सेमी0 |
| 1 पेड़ आम व्यास | 30 – 40 सेमी0 |
| 1 पेड़ शीशम व्यास | 30 – 40 सेमी0 |
| 3 पेड़ शीशम व्यास | 20 – 30 सेमी0 |
| 1 पेड़ जामुन व्यास | 30 – 40 सेमी0 |
| 1 पेड़ गुलार व्यास | 40 – 50 सेमी0 |
| 10 पेड़ यूकोलिप्टस व्यास | 20 – 25 सेमी0 |

Salma Khaloni

राम कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 729450


4

12. बोरिंग/कुआं व अन्य :- नहीं है।
13. प्रतिफल की धनराशि :- 10,00,000/-
14. दर सरकारी :- 30,00,000/-प्रति हे0 व आबादी का 40 प्रतिशतअतिरिक्त
15. श्रेणी :- अति विशिष्ट ग्राम

पेड़	व्यास	दर	पेड़ों की मालियत
2 पेड़ आम व्यास	40 - 50	3132	6,264
1 पेड़ आम व्यास	30- 40	1560	1560
1 पेड़ शीशम	30- 40	4800	4800
3 पेड़ शीशम	20- 30	1500	4500
1 पेड़ जामुन	30 - 40	2100	2100
1 पेड़ गूलर	40 - 50	1872	1872
10 पेड़ यूकोलिप्टस	20 - 25	936	9360
पेड़ों की कुल मालियत			30,456/-

राम कुमार

Salma Khatoon



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 732088

5

चौहददी विक्रीत खसरा संख्या 814
पूरब - चकमार्ग बादहू ग्राम चौदसराय
पश्चिम - खसरा संख्या 822 व 823
उत्तर - चकमार्ग बादहू आबादी ग्राम एवं खसरा संख्या 813
दक्षिण - खसरा संख्या 815, 816, एवं 817 का भाग

राम कुमार

Salma Khatoon



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 732089

6

प्रथमपक्ष की संख्या : 1

विक्रेता का विवरण :

राम कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी – चिरैयाबाग , उत्तरेठिया, लखनऊ।

द्वितीयपक्ष की संख्या: 1

क्रेता का विवरण :

श्रीमती सलमा खातून पत्नी स्व० नसर जलील खान निवासी 401, सफायर होम्स, 2, फॉन ब्रेक एवन्यू , सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ। पेशा व्यापार (पैन सख्या AIYPK 4949C) बजरिये तस्दीक शुदा मुख्तार ।

राम कुमार

Salma Khaloun



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 732129



8

जो कि भूमि खाता संख्या 287 की खसरा संख्या 814 रकबा 1.826 हेक्टेयर प्रथम पक्ष के राम कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी - चिरैयाबाग, उत्तरेठिया, लखनऊ को जरिये वरासतन प्राप्त है जो कि अब राजस्व अभिलेखों में दर्ज है जिसका प्रथम पक्ष पूर्णतया स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर है व आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में मौजूद है।

राम कुमार

Salma Khatun



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 643707

9

प्रथम पक्ष की भूमि में कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित या साझीदार नहीं है तथा प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष (दोनों पक्ष) भारतीय नागरिक है व अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य नहीं है। अतः प्रथम पक्ष ने अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से उपरोक्त खसरा संख्या 814 रकबा 1.826 हे० स्थित ग्राम कासिमपुर बिरुहा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ के अपने सम्पूर्ण अंश में से 1 बिस्वा रोक कर शेष 0.291 हे० को स्वत्वाधिकार सहित 10,00,000/- (रुपया दस लाख) जिसके आधे 5,00,000/- (रुपया पांच लाख) होते हैं। के बदले बदस्त श्रीमती सलमा खातून पत्नी स्व० नसर जलील खान निवासी 401, सफायर होम्स, 2, फॉन ब्रेक एवन्यू, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।

राम कुमार

Salma Khatun



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



10

पेशा व्यापार (पैन सख्या AIYPK 4949C) (द्वितीय पक्ष/केता) के हाथ बेच दिया है तथा कुल विक्रय मूल्य निम्नलिखित विवरण के अनुसार इस विक्रय पत्र के लिखने के पूर्व बजरिये चेक वसूल पा लिया है जिसका विवरण अंत में दिया जा रहा है। विक्रय मूल्य में से अब कुछ भी लेना देना बाकी नहीं है। अतः आज की तारीख से विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष ने अपने ही समान केता का पूर्ण स्वामित्व व कब्जा करा दिया है। प्रथम पक्ष इकरार करते हैं कि अब आज से प्रथम पक्ष या उनके किसी उत्तराधिकारी या अन्य व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई स्वामित्व व सम्बंध विक्रीत भूमि में शेष नहीं रहा, केता पूर्णतया स्वामी व भूमिधर है जो चाहे करे।

राम कुमार

Salma Khalon



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



11

जिसका दाखिल खारिज इस विक्रय पत्र द्वारा केता अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से कुल विक्रीत भूमि या उसका कोई अंश केता के स्वामित्व या कब्जे से निकल जावे तो उसकी पूर्ति व वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय सहित अर्थात् उसका सारा आर्थिक वैधानिक उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष के ऊपर एवं उनके बाद उनके वारिसान पर होगा। अस्तु यह विक्रय पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में लिख दिया है। ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। विवरण भूमि स्थित ग्राम कासिमपुर बिरुहा परगना व तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ जो कृषिक भूमि है तथा अति विशिष्ट ग्राम की भूमि है तथा जिसके विक्रय का कोई रजिस्टर्ड इकरारनामा इससे पूर्व किसी के हक में प्रथम पक्ष ने नहीं किया है।

राम कुमार

Salma Khatun

NFD

वाक्य 470/12/13
डोक्या 3/1/13

आज दिनांक 09/11/2012 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 3438
पृष्ठ सं. 219 से 248 पर क्रमांक 12043
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



एस. श्रीवास्तव (प्रभारी)
उ.नि. मोहनलालगंज
लखनऊ
9/11/2012

